न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 4/2023 GCMS 2023/5

वादी :–

1. बिड़दाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी रिणवों की ढ़ाणी, भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. हुक्माराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी बाग वाली कोठी, उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. उगमाराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. भीवाराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. भंवरलाल पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. रामनिवास पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. हुक्माराम पुत्र झुंताराम जाति कुमावत निवासी खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :–श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता प्रति. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 23/08/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस वाद पत्र के संलग्न दिनांक 10.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2023/1324 दिंनाक 14.08.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 14.08.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम उगरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या **A** खसरा नम्बर 719/436 में से रकबा 0.31 हैक्टर व बिन्दू संख्या **B** खसरा नम्बर 715/441 में से रकबा 0.3350 हैक्टर पर वादी का तथा बिन्दू संख्या **C** खसरा नम्बर 713/440 में से रकबा 0.1618 हैक्टर व बिन्दू संख्या **D** खसरा नम्बर 713/440 में से 0.2178 हैक्टर प्रतिवादी सं. 01 के कब्जे काश्त में होना बताया, खसरा नम्बर 712/440, 714/441, 718/436 किस्म गै.मु.रास्ता में वादी व प्रतिवादी का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रहेगा, खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 के शेष रकबा में खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:30:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की खातेदारी में यथावत रहेगी, उपरोक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादीगण 01 जोत विभाजन करवाना चाहते है। भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है, तथा नजरी नक्शा एवं दर्शाये गये हक हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के कथन किये है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या **A** खसरा नम्बर 719/436 में से रकबा 0.31 हैक्टर व बिन्दू संख्या **B** खसरा नम्बर 715/441 में से रकबा 0.3350 हैक्टर पर वादी को तथा बिन्दू संख्या **C** खसरा नम्बर 713/440 में से रकबा 0.1618 हैक्टर व बिन्दू संख्या **D** खसरा नम्बर 713/440 में से 0.2178 हैक्टर प्रतिवादी सं. 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 712/440, 714/441, 718/436 किस्म गै.मु.रास्ता में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रहेगा, खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 के शेष रकबे की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की खातेदारी में यथावत रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 23/08/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज,(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 4/2023 GCMS 2023/5

वादी :–

1. बिड़दाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी रिणवों की ढ़ाणी, भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. हुक्माराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी बाग वाली कोठी, उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. उगमाराम पुत्र हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. भीवाराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. भंवरलाल पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. रामनिवास पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. हुक्माराम पुत्र झुंताराम जाति कुमावत निवासी खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा बाबत् बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम उगरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या A खसरा नम्बर 719/436 में से रकबा 0.31 हैक्टर व बिन्दू संख्या B खसरा नम्बर 715/441 में से रकबा 0.3350 हैक्टर पर वादी को तथा बिन्दू संख्या C खसरा नम्बर 713/440 में से रकबा 0.1618 हैक्टर व बिन्दू संख्या D खसरा नम्बर 713/440 में से 0.2178 हैक्टर प्रतिवादी सं. 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 712/440, 714/441, 718/436 किस्म गै.मु.रास्ता में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रहेगा, खसरा नम्बर 713/440, 715/441, 719/436 के शेष रकबे की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की खातेदारी में यथावत रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..23..माह ..08.......... सन्..2023....... को जारी की गई।

दस्तखत...

ओहदा..

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मु[illegible]		
मीजान					

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री [illegible] दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/165 दिनॉकः–23/8/2023

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 4/2023 **GCMS 2023/5** बिड़दाराम बनाम हुक्माराम वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 4/2023 **GCMS 2023/5** बिड़दाराम बनाम हुक्माराम वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

शाखा कोर्ट
16/8/2023

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना –कुचामन

क्रमांक / भू.अ. / 2023 / 1324 दिनांक :– 14-08-2023

प्रेषित :–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कुचामन सिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 4/2023 GCMS 2023/05 बिड़दाराम बनाम हुक्माराम वगैराह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना भिजवाने बाबत।

प्रसंग :– श्रीमान का कार्यालय पत्रांक/कोर्ट/2023/142 दिनांक 10.08.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 4/2023 GCMS 2023/05 बिड़दाराम बनाम हुक्माराम वगैराह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश के मुताबिक बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष भू.अ.निरीक्षक कुचामन सिटी द्वारा तैयार की गयी है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान सेवामें अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
जिला डीडवाना–कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

①

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ......विजय कुमार माथुर......(नाम) तहसीलदार ....कु. सिटी.... न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...कु. सिटी... के आदेश कमांक/...कार्य/2023/142.. दिनांक/..10.8.23.. की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक/..14.8.23.. समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-...713/440, 715/441, 719/536... वाके ग्राम ...उगरपुरा... पटवार हल्का ...उगरपुरा... पर श्री ...ओमप्रकाश, प्रतिभा तिवाड़ी... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...कु. सिटी... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-...4/2023... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	भंवरलाल	S/o नारायणराम		कुमावत	प्रतिवादी
2	बिड़दाराम	S/o प्रेमाराम		जाट	वादी
3.	हुक्माराम	S/o चन्द्राराम		कुमावत	प्रतिवादी

अं.नि. भंवरलाल
अं.नि. बिड़दाराम
छोटीदेवी
डूकमाराम

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

प. उगरपुरा
14/8/2023
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार कु. सिटी

P.T.O.

उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरान ने निम्न नजरी नक्शानुसार वादी व प्रतिवादी 01 का कब्जा काश्त होना बताया –

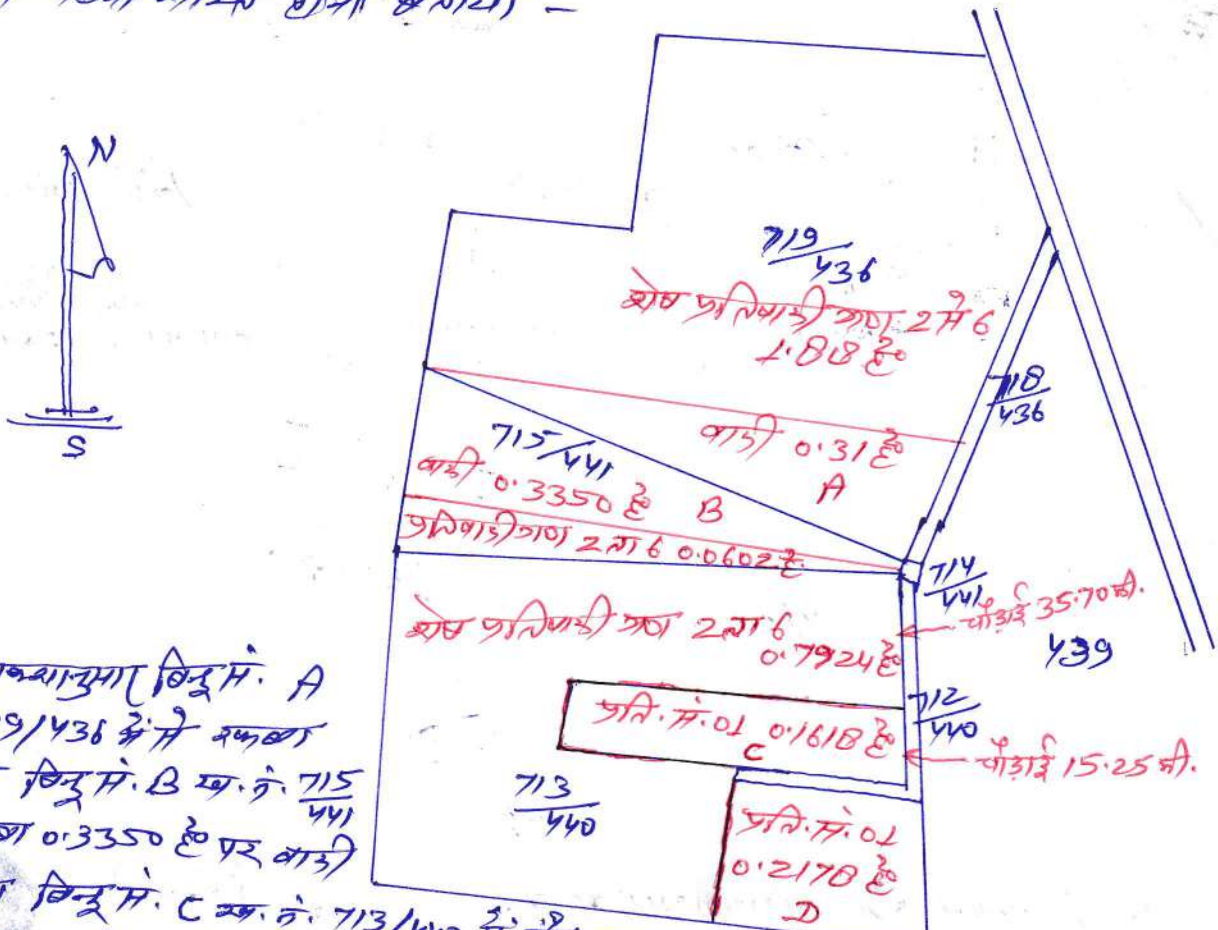

नजरी नक्शानुसार बिन्दु सं. A ख.नं. 719/436 में से रकबा 0.31 है० व बिन्दु सं. B ख.नं. 715/441 में से रकबा 0.3350 है० पर वादी का तथा बिन्दु सं. C ख.नं. 713/440 में से रकबा 0.1618 है० व बिन्दु सं. D ख.नं. 713/440 में से 0.2178 है० प्रतिवादी सं. 01 के कब्जे काश्त में होना बताया। ख.नं. 712/440, 714/441, 718/436 शिव नि.ग्र.पु. खाता में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रहेगा। ख.नं. 713/440, 715/441, 719/436 के शेष रकबे की खातेदारी प्रतिवादीगण 2 ता 6 की खातेदारी में यथावत रहेगी। उपरोक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादी सं. 01 जोत मया-पन करवाना चाहते है। आगम रिकॉर्ड अनुसार उक्त ख.नं. पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश दर्ज नहीं है। माननीय न्यायालय आदेशानुसार कब्जा पक्षकारान बटवारा फर्द तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

इंकमाराम

अ.नि. मंगलाराम

प. उगारझुण 14/08/2023

14.8.2023

छोटी देवी w/o रामाराम

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
14/8/2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

(3)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	मंगलाराम	नारायणराम	कुमावत	अं.नि. मंगलाराम	प्रतिवादी
2.	भिड़ाराम	प्रेमाराम	जाट		वादी
3.	हुकमाराम	धन्नाराम	कुमावत	हुकमाराम / अं.नि. भिड़ाराम	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
— Nil —					

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1.	छोटीदेवी	w/o रामनिवास		कुमावत	9460773687	छोटीदेवी
2.	श्रवणराम	s/o धन्नाराम		मेघवाल	7073440654	श्रवण

इस प्रकार आज दिनांक 14.8.23 को यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:54 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर (पटवारी उगरपुरा 14/08/2023)	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर (14/8/2023)
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. त.	तहसीलदार
पं. मं. उगरपुरा	वृत कु. सिटी	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी